कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 10075 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक 30-10-2024

प्रवेश वर्ष – 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD / MS) पाठ्यक्रम काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सेवारत् अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना

NEET-PG (MD/MS)- 2024 की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शीध्र ही आरंभ होना है। अतः NEET-PG (MD/MS) 2024 की काउंसिलिंग के लिए पात्र छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सेवारत् अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, कि NBEMS से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार बोनस प्रतिशत प्राप्त करने वाले सभी सेवारत अभ्यर्थियों की सूची एवं पंजीकृत उम्मीदवारों की कुल संख्या, बोनस प्रतिशत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, और जिन सेवारत अभ्यर्थियों को बोनस प्रतिशत नहीं मिले, उनकी संख्या की जानकारी NBEMS को पासवर्ड–संरक्षित एमएस एक्सेल और पीडीएफ फाइल के रूप में भेजने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः NEET-PG (MD/MS) 2024 की काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सेवारत् अभ्यर्थी संलग्न परिशिष्ट – तीन एवं चार में छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण–पत्र का प्रारूप 'अ' एवं 'ब' में दिये गये बोनस प्रतिशत (%) (यथा 03 %, 06 %, 09 %, 10 %, 20% एवं 30 %) अंकित कर नीट प्राप्तांक एवं बोनस अंक की प्रविष्टि को रिक्त छोड़ते हुए प्रमाण पत्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें / संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करने हेतु तैयार रखें।

(संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

30/10/2024

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

15

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण–पत्र का प्रारूप "अ"

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

सेवा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ ....पिता/पति .... ने दिनांक ....से दिनांक ....की अवधि में कुल ....वर्ष...................माह तक चिकित्सक/शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय .... (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र) में निर्बाध सेवा प्रदान की है ।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक ....है को, प्राप्तांक का लागू बोनस ....प्रतिशत % के, बोनस अंक .... (शब्दों में)........................ .... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे जिन्होने संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन सेवारत कर्मचारी जिन्हों ने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित कें 3 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक
चिकित्सा शिक्षा

परिशिष्ट – चार

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण–पत्र का प्रारूप "ब"

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

सेवा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ ....पिता / पति..ने दिनांक..से दिनांक..की अवधि में कुल ....वर्ष.............. ....माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

(क) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

(ख) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

(ग) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

(घ) ....विकासखंड.............जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र / सामान्य अनुसूचित क्षेत्र / गैर अनुसूचित क्षेत्र).............वर्ष............माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक ....है को, प्राप्तांक का लागू बोनस ....प्रतिशत % के, बोनस अंक .... (शब्दों में)......................... .... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे जिन्होने **संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें** के अधीन सेवारत कर्मचारी जिन्हों ने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ / संविदा / नियमित कें 3 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें